



## ध्वस्तीकरण अभियान और कानून का शासन

### प्रलिस के लयः

ध्वस्तीकरण अभयान, [मौलक अधकार](#), कानून का शासन, अनुच्छेद 226, मेनका गांधी मामला (1978), मैगना कार्टा का अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 21

### मेन्स के लयः

ध्वस्तीकरण अभयान और कानून का शासन, ध्वस्तीकरण अभयान के खललफ कानून, नरलय और मामले

## चरचा में क्यों?

पंजाब और हरयलण उच्च न्यायालय ने हरयलण में **ध्वस्तीकरण अभयान (Demolition Drive)** में स्वतः संजान लेते हुए पूछा कक्या यह **जातीय संहार (Ethnic Cleansing)** का अभयास है और क्या यह **मूल अधकारों (Fundamental Rights)** के संभावतः उललंघन और कानून के शासन के क्षरण पर प्रकाश डालता है ।

- हाल ही में हरयलण में आवासों तथा व्यापारक प्रतषलठानों के ध्वस्तीकरण ने **गंभीर संवैधानक और कानूनी सवाल** खड़े कर दये हैं ।

## जातीय संहारः

- "जातीय संहार" शबद की उत्पत्तः 1992 में प्रो. चेरफः बासओनी की अधयक्षता में **संयुक्त राष्ट्र द्वारा नयुक्त वशलषज्जों के आयोग** द्वारा की गई थी ।
- यह एक जातीय या धारमकः समूह द्वारा हसक और आतंक-प्रेरक तरलकों का उपयूग करके वशलषलटः भौगूलकः क्षेत्नों से दूसरे समूह को ज़बरन हटाने हेतु जान-बूझकर कये गए कृत्यों को संदर्भतः करता है ।
- यदयपः इसे भारतीय कानून में परभाषतः नहीं कयः गया है, फरः भी जातीय संहार के कृत्य भारतीय संवधान के भाग III के तहत संवैधानकः गारंटी का उललंघन करते हैं ।

## न्यायालय के हस्तक्षेप का कारणः

- उच्च न्यायालय ने इस तथय पर संजान लयः कः वधलवंस अभयान **"वधलवंस आदेशों और नूटसः"** के बना चलाया गया था, जससे कानून द्वारा स्थापतः प्रक्रयः का उललंघन हुआ ।
- भारतीय संवधान का **अनुच्छेद 21** आदेश देता है कः कसः भी व्यक्तः को कानून द्वारा स्थापतः प्रक्रयः के अलावा उसके जीवन और व्यक्तगतः स्वतंत्रता से वंचतः नहीं कयः जाएगा ।
  - मेनका गांधी मामला, 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरलय देकर कानून द्वारा स्थापतः प्रक्रयः के दायरे का वसलतार कयः था कः ऐसी प्रक्रयः "नषलपक्ष, उचित और तरकसंगत होनी चाहयः, कालपनकः, दमनकारी अथवा मनमानी नहीं", इस नरलय ने "प्रक्रयःतमकः उचित प्रक्रयः" का सलधलंठः प्रसतुतः कयः ।
  - अनुच्छेद 21 के दायरे के परयाप्त वसलतार के बावजूद यह एक संवधान के उपहास के समान है कः नरलःवाचतः सरकारों द्वारा ऐसे बुनयःदी सलधलंठः के प्रतः बहुत कम सम्मान प्रदरशतः कयः जाता है ।

## कानून के शासन और कानून द्वारा नयःम के वरलधःभास का संवधान पर प्रभावः

- कानून के शासन को संवधान की एक बुनयःदी वशलषता षोषतः कयः गया है, जबकः कानून द्वारा शासन कानून के शासन की सभी प्रसतुतयों का वरलधःभास है ।
- कानून के शासन का अरथ है कानून से चलने वाली सरकार, न कः व्यक्तयों द्वारा चलाई जा रही वयवस्था ।
  - कानून के शासन की अवधारणा का ववरण **मैगना कार्टा, वर्ष 1215** के अनुच्छेद 39 में मलःता है, जो यह षोषणा करता है कः कसः देश

के कानून के वैध नरिणय के आधार के अतरिकित "कसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को न कैद किया जाएगा, न नरिवासति किया जाएगा और न ही कसी तरह की कोई क्षता पहुँचाई जाएगी।"

- तब से इस सभ्यतागत यात्रा ने भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21 में अपना प्रतबिबि देखा है** और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी रूपरेखा का वसितार किया गया है।
- जब कानून द्वारा शासन लागू होता है तो यह प्रगतशील यात्रा **बरबरतापूर्वक उलट** जाती है।
- कानून द्वारा शासन तब होता है जब राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के दौरान कानून का उपयोग **दमन, उत्पीड़न और सामाजिक नरिंत्रण** के साधन के रूप में किया जाता है।
  - चयनात्मक सामाजिक नरिंत्रण को आगे बढ़ाने के लिये प्रभावितों को नोटिस जारी किये बिना तथा उनकी सुनवाई किये बिना आवासों और इमारतों को ध्वस्त करने का प्रशासनिक कार्य आवश्यक रूप से **न्यायिक हस्तक्षेप की मांग** करता है।

## अवैध नरिमाण की वधिंवसक प्रक्रिया:

- **दिल्ली नगर नगिम अधनियिम (Delhi Municipal Corporation Act), 1957** जैसे नगरपालिका अधनियिम ऐसे प्रावधान प्रदान करते हैं जो **सार्वजनिक सड़कों** और फुटपाथों पर **अतिक्रमण को रोकते** हैं।
- कोई भी कार्रवाई करने से पहले **नगर नगिम अधिकारियों को आमतौर पर अवैध अतिक्रमण में शामिल व्यक्तियों या प्रतषिठानों को नोटिस** जारी करना आवश्यक होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालयों ने **उचित प्रक्रिया के महत्त्व** पर ज़ोर दिया है तथा प्रायः नरिणय सुनाया है कि कसी भी वधिंवस को अंज़ाम देने से पहले **उचित नोटिस** और सुनवाई का अवसर आवश्यक है।
  - वर्ष **1985** के **ओल्गा टेलसि मामले** में आजीविका के अधिकार और झुग्गीवासियों के अधिकारों पर ज़ोर देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजीविका का अधिकार **जीवन के अधिकार का एक हिस्सा** है।
  - यदि व्यक्ति **जवाब देने में वफिल** रहते हैं या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो नगरपालिका अधिकारी **वधिंवसक प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते** हैं।
- अधिकारियों से आमतौर पर उल्लंघन की प्रकृत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिये **की गई प्रतिक्रिया** को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

## वधिंवसक अभियान:

- **पर्याप्त आवास का अधिकार:**
  - आवास का अधिकार भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21** के तहत मान्यता प्राप्त एक मूल अधिकार है।
- **ICESCR:**
  - आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (**International Covenant on Economic, Social and Cultural Right- ICESCR**) का अनुच्छेद 11.1 प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के लिये पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार को मान्यता देता है, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े तथा आवास एवं रहने की स्थिति में नरितर सुधार शामिल है। "
- **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढाँचा:**
  - यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ढाँचे के तहत एक अच्छी तरह से प्रलेखित अधिकार भी है।
    - उदाहरण के लिये **मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration of Human Rights- UDHR)** के अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि "हर कसी को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास तथा चिकित्सा देखभाल शामिल हैं।"
    - UDHR के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है लेकिन इसे सभी देशों द्वारा **नैतिक आचार संहिता (Moral Code of Conduct)** के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- **ICCPR:**
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (**ICCPR**) के अनुच्छेद 17 में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से संपत्ति रखने का अधिकार है, तथा साथ ही कसी की संपत्ति को बिना कारण बताए उससे नहीं लिया जा सकता है।

## सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित नरिणय:

- **ओल्गा टेलसि और अन्य बनाम बॉम्बे नगर नगिम एवं अन्य, 1985:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि फुटपाथ पर रहने वालों को अवसर दिये बिना अनुचित बल का प्रयोग कर उन्हें हटाना असंवैधानिक है।
    - यह उनकी **आजीविका के अधिकार** का उल्लंघन है।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कहा कि "कानून की उचित प्रक्रिया" "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का एक अभिन्न अंग है, यह समझाते हुए कि ऐसी प्रक्रिया नषिपक्ष, उचित होनी चाहिये।
    - यदि कानून द्वारा नरिधारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी तथा मनमानी प्रकृत की है तो इसे बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं माना जाना चाहिये एवं इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताएँ पूरी नहीं होंगी।
- **नगर नगिम लुधियाना बनाम इंदरजीत सहि, 2008:**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि यदि नगरपालिका कानून के अंतगत नोटिस देने की आवश्यकता प्रदान की गई है, तो इस

आवश्यकता का अनविरय रूप से पालन किया जाना चाहिये।

- कोई भी प्राधिकरण कब्जेदार को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिये बिना, यहाँ तक कि अवैध निर्माणों को भी सीधे ध्वस्त करने की कार्रवाई नहीं कर सकता है।

▪ **अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय:**

- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य, 1980, वशिखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997** और हाल ही में प्रसिद्ध **पुट्टासवामी बनाम भारत संघ, 2017** जैसे मामलों में **सर्वोच्च न्यायालय** ने यह सदिधांत दिया है कि संवधान के अंतगत मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिये। इसे इस तरीके से पढ़ें एवं व्याख्या करें जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के साथ उनकी अनुरूपता बढ़े।

## आगे की राह

- संवैधानिक मूल्यों, वशिषकर कानून के शासन तथा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के क्षरण के प्रति सतर्कता की आवश्यकता है।
- सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये न्यायिक हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण है कि न्याय नष्पक्षता से और स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही लागू हो।
- कानून के शासन और कानून द्वारा शासन के बीच चल रहा संघर्ष एक न्यायपूर्ण तथा समावेशी समाज के लिये संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

## स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/demolition-drive-and-rule-of-law>

